केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 189/टीएल/2023 दिनांक: 31.8.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोर–4, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड, साउथ दिल्ली, दिल्ली – 110003 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "खावड़ा पीएस1 (केपीएस1) पर 3 जीडब्ल्यू आरई पावर से अधिक अंतःक्षेपण के लिए पारेषण योजना" के लिए अंतर–राज्यिर पारेषण योजना स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

खावड़ा पीएस1 (केपीएस1) पर 3 जीडब्ल्यू आरई पावर से अधिक अंतःक्षेपण के लिए पारेषण योजना		
क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	क्रमशः द्वितीय 765 केवी और 400 केवी बस सेक्शन पर 1x330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर और 1x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर के साथ 4x1500 एमवीए, 765/400 केवी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता* द्वारा खावड़ा पीएस1 का संवर्धन	एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 21 मास
2.	केपीएस1–खावड़ा पीएस जीआईएस (केपीएस2) 765 केवी डी/सी लाइन	

*खावड़ा पीएस1 पर द्वितीय बस सेक्शन का निर्माण किया जाना है

नोटः

मैसर्स केबीटीएल (अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड), आईसीटी संवर्धन कार्यों के कार्यान्वयन और केपीएस1 पर केपीएस1–खावड़ा पीएस जीआईएस (केपीएस2) 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए बे हेतु स्थान प्रदान करेगा।

उपर्युक्त योजना 21 मास की कार्यान्वयन समयसीमा के साथ कार्यान्वित होगी और "खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन–2 (केपीएस2) की स्थापना" की कार्यान्वयन समयसीमा के साथ मेल रखेगी।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 862.29 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 15.5.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 189/टीएल/2023 में दिनांक 31.8.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट http://www.kps1tl.com/ पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **13.9.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक **15.9.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव